न्यायालयः विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी. प्रतापगढ।

सत्र वाद संख्या–910/2021

राज्य **बनाम** रामराज यादव आदि।

मु0 अ 0 सं0–284/2020
धारा–2/3 उ 0 प्र 0 गैंगस्टर एक्ट
थाना–बाघराय, जिला प्रतापगढ़।

दिनांक–02.09.2025

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्त **रामराज यादव** जेल से तलब होकर उपस्थित है तथा अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता पुष्पा यादव उपस्थित हैं। अभियुक्त रामराज यादव के द्वारा पत्रावली पर जुर्म इकबाल हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा जेलर के माध्यम से भी जुर्म इकबाली प्रार्थना पत्र दिनांकित–14.07.2025 प्रस्तुत किया गया है एवं अभियुक्त तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र पर बल प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध लम्बित प्रस्तुत मुकदमे का निस्तारण अभियुक्त के द्वारा जुर्म इकबाल किए जाने के आधार पर किए जाने की याचना की है।

अभियुक्त का बयान मुल्जिम पृथक रूप से अभिलिखित किया गया। अभियुक्त रामराज यादव ने आरोपित तथ्यों को सही होना बताया और अपने जुर्म की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति की। अभियुक्त पर मुकदमा अपराध संख्या–284/2020, थाना–बाघराय, जनपद–प्रतापगढ़ में अपराध अन्तर्गत धारा–2/3 गिरोहबन्द एव समाजविरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अपराध का आरोप है। अभियुक्त ने आरोपित अपराध को स्वीकार कर लिया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के द्वारा आरोपित अपराध की संस्वीकृति किए जाने के आधार पर अभियुक्त आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–2/3 गिरोहबन्द एव समाजविरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **रामराज यादव** को सत्र वाद संख्या–910/2021, मुकदमा अपराध संख्या–284/2020 अपराध अन्तर्गत धारा–2/3 गिरोहबन्द एव समाजविरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना–बाघराय, जनपद–प्रतापगढ़ के अपराध में **दोषसिद्ध** किया जाता है। अभियुक्त जेल से तलब होकर अभिरक्षा में उपस्थित है। अभियुक्त को सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली एक घण्टे बाद पुनः पेश हो।

(विकास श्रीवास्तव–II)
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश,
एफ.टी.सी. प्रतापगढ

दिनांक–02.09.2025

Digitally signed by VIKAS SRIVASTAVA
Date: 2025.09.02 17:25:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिनांक–02.09.2025

पत्रावली पुनः एक घण्टे बाद पेश हुयी।

अभियुक्त व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी गरीब व्यक्ति है, उसकी पैरवी करने वाला कोई नही है। अभियुक्त काफी लम्बे समय से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

विद्वान विशेष अभियोजक गैंगेस्टर एक्ट द्वारा अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त रामराज यादव को धारा–2/3 गिरोहबन्द एव समाजविरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अपराध हेतु दोषसिद्ध किया गया है। मामले के समस्त तथ्यों एवं प्रस्तुत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

अभियुक्त **रामराज यादव** को मुकदमा अपराध संख्या–284/2020, थाना–बाघराय, जनपद–प्रतापगढ़ के प्रकरण में धारा–2/3 गिरोहबन्द एव समाजविरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अपराध हेतु दोषसिद्ध पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 10,000/– रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण के अन्वेषण में जांच एवं विचारण के दौरान जेल में बतायी गयी अवधि इस न्यायालय द्वारा अधिरोपित सजाओं में समायोजित की जाएगी।

अभियुक्त का सजायाबी वारण्ट बनाकर, जिला कारागार प्रतापगढ़ सजा भुगतने के लिए भेजा जाए।

(विकास श्रीवास्तव–II)
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश,
एफ.टी.सी. प्रतापगढ

दिनांक–02.09.2025